रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 254] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 30, 1973/कार्तिक 8, 1895
No. 254] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 30, 1973/KARTIKA 8, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

RESOLUTIONS

New Delhi, the 30th Oct 1973

No. 1/1/73-(SI A).—In pursuance of Government's decision to streamline industrial approval procedure, it has been decided to constitute a Licensing-cum-MRTP Committee, which will be responsible for the simultaneous consideration of applications for industrial licence and notices/applications under Sections 21 and 22 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969.

2. Government have constituted a Licensing Committee under Rule 10 of the Registration and Licensing of Industrial Undertakings Rules 1962. This Committee with the co-option of Secretary, Department of Banking, Ministry of Finance, shall constitute the Licensing-cum-MRTP Committee.

3. The Licensing-cum-MRTP Committee will have the powers of the Licensing Committee and shall also function as the Advisory Committee to render advisee to the Central Government in regard to notices/applications under Sections 21 and 22 of the MRTP Act, 1969.

ORDER

Ordered that a copy of the resolution be communicated to members and to all departments of the Government of India. Ordered also that the resolution be published in the Gazette of India for information.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 1973

सं० 1/1/73 (एस० आई० ए०).—औद्योगिक स्वीकृति प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाने संबंधी सरकारी निर्णय के अनुसरण में एक लाइसेंसिंग एवं एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया समिति (लाइसेंसिंग एवं एम० आर० टी० पी० कमिटी) गठित करने का निश्चय किया गया है जो एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम, 1969 के अध्याय 3 की धारा 22 और 23 के अधीन औद्योगिक लाइसेंसों एवं नोटिसो/आवेदनों पर विचार करने के साथ ही उन पर अनुमति प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होगी ।

2. सरकार ने औद्योगिक उपक्रम पंजीयन तथा लाइसेंसिंग नियम 1962 के नियम 10 के अधीन एक लाइसेंस समिति का गठन किया है । यह समिति वित्त मंत्रालय बैंकिंग विभाग के सचिव को सहयोजित करके लाइसेंसिंग एवं एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया समिति का गठन करेगी ।

3. लाइसेंसिंग एवं एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया समिति को लाइसेंसिंग समिति के अधिकार प्राप्त होंगे तथा यह एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम, 1969 के अध्याय 3 की धारा 21 और 22 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को नोटिसों/आवेदनों के संबंध में सहायता करने के लिए सलाहकार समिति के रूप में भी कार्य करेगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक एक प्रति सदस्यों को तथा भारत सरकार के समस्त विभागों को भेजी जाये ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में सर्व-साधारण के सूचना के लिये प्रसारित किया जाये ।

No. 1/1/73-(SIA).—In pursuance of Government's decision to streamline industrial approval procedures, it has been decided to constitute a Projects Approval Board to provide overall guidance and supervision to the Secretariat for Industrial Approvals constituted in the Ministry of Industrial Development and to the Administrative Ministries and Technical Authorities who are involved in industrial approvals.

2. The composition of the Projects Approval Board will be as follows :—

(1) Secretary, Ministry of Industrial Development	Chairman
(2) Secretary, Planning Commission	Member
(3) Secretary, Department of Economic Affairs	"
(4) Secretary, Department of Company Affairs	"
(5) Secretary, Ministry of Commerce	"
(6) Secretary, Department of Banking	"
(7) Secretary, Department of Science & Technology	"
(8) Director General, Technical Development	"
(9) Director General, Council of Scientific and Industrial Research	"

3. The Projects Approval Board will co-opt the Secretary of the Administrative Ministry concerned in dealing with industries dealt with by the Ministry.

4. The functions of the Projects Approval Board will be as follows :—

(i) The PAB will undertake detailed periodical reviews in respect of pendencies of letters of intent, industrial licences, foreign collaboration, capital goods and MRTP applications. The review will specifically identify delays in various agencies involved, fix targets for clearing arrears and provide for information on disposals to the PAB.

(ii) The PAB will review the progress of implementation of letters of intent and industrial licences up to the stage of the actual commissioning of capacity.

(iii) The PAB will provide the forum at which policy questions that affect a large number of applications will be brought up and resolved so that delays arising from uncertain policy guidelines can be effectively reduced.

(iv) The PAB will directly deal with simultaneous/composite applications for industrial approvals.

5. The Licensing Committee, Foreign Investment Board, Capital Goods Committee and the Licensing-cum-MRTP Committee (which has been separately constituted) will function as Committees of the PAB.

ORDER

Ordered that a copy of the resolution be communicated to members and to all departments of the Government of India. Ordered also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. K. SAHGAL, Jt. Secy.

सं० 1/1/73-(एस० आई० ए०).—औद्योगिक स्वीकृति संबंधी कार्यविधियों को सुप्रवाही बनाने के सरकार के निर्णय के अनुसार औद्योगिक विकास मंत्रालय में गठित औद्योगिक स्वीकृत सचिवालय तथा प्रशासनिक मंत्रालयों और उन तकनीकी प्राधिकारों, जो औद्योगिक सहमति देने से संबंधित हैं, के सम्पूर्ण मार्ग-निर्देशन और पर्यवेक्षण की व्यवस्था करने के लिए एक परियोजना स्वीकृति बोर्ड गठित करने का निश्चिय किया गया है ।

2. परियोजना स्वीकृति बोर्ड की रचना निम्न प्रकार होगी :—

(1) सचिव, औद्योगिक विकास मंत्रालय	—	अध्यक्ष
(2) सचिव, योजना आयोग	—	सदस्य
(3) सचिव, आर्थिक कार्य-विभाग	—	,,
(4) सचिव, कम्पनी-कार्य विभाग	—	,,
(5) सचिव, वाणिज्य मंत्रालय	—	,,
(6) सचिव, बैंकिंग विभाग	—	,,
(7) सचिव, विज्ञान तथा औद्योगिकी	—	,,
(8) महानिदेशक, तकनीकी विकास	—	,,
(9) महानिदेशक, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान	—	,,

3. परियोजना स्वीकृति बोर्ड संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव को उस मंत्रालय द्वारा निपटाये जा रहे उद्योगों के बारे में सहयोजित करेगा ।

4. परियोजना स्वीकृति बोर्ड के कार्य निम्न प्रकार होंगे :—

(1) परियोजना स्वीकृति बोर्ड आशय पत्रों, औद्योगिक लाइसेन्सों विदेशी सहयोग, पूंजीगत वस्तुओं और एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया (एम० आर०टी०पी०) के विचाराधीन आवेदन-पत्रों के संबंध में समय-समय पर विस्तृत रूप से संवीक्षा करेगा। इस संवीक्षा के द्वारा विभिन्न अभिकरणों द्वारा होने वाले विलम्बों को विशेष रुप से अलग किया जायगा, अनिर्णित आवेदनों को निपटाने के लिये लक्ष निर्धारित किये जायेंगे और परियोजना स्वीकृत बोर्ड को उन्हें निपटाने के बारे में जानकारी प्रदान की जायगी ।

(2) परियोजना स्वीकृति बोर्ड, आशय-पत्रों और औद्योगिक लाइसेन्सों के बारे में वास्तविक क्षमता लागू करने की स्थिति तक उनके कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करेगा ।

(3) परियोजना स्वीकृति बोर्ड एक ऐसे मंच की व्यवस्था करेगा जहां उन नीति संबंधी प्रश्नों जिनसे काफी बड़ी संख्या में आवेदनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, विचार किया जायेगा और उन्हें दूर किया जायेगा जिससे नीति संबंधी अनिश्चित मार्ग निर्देशन से होने वाले विलम्बों में कारगर ढंग से कमी की जा सके ।

(4) परियोजना स्वीकृति बोर्ड औद्योगिक स्वीकृतियों के लिए साथ साथ/मिश्रित आवेदनों का सीधे निपटान करेगा ।

5. लाइसेन्स समिति, विदेशी विनियोजन बोर्ड, पूंजीगत वस्तु समिति तथा लाइसेन्सिंग एवं एम० आर० टी० पी० समिति (जिसका अलग से गठन हो चुका है) परियोजना स्वीकृति बोर्ड की समितियों के रूप में कार्य करेंगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक एक प्रति सदस्यों को तथा भारत सरकार के समस्त विभागों को भेजी जाये ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रसारित किया जाय ।

एस० के० सहगल, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973.